न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2025/42 **दायर दिनांक 28.04.2025**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान)

बनाम **–सायल–**

बनवारीलाल पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल उम्र 35 साल निवासी बुचावास पुलिस थाना भालेरी जिला चूरू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 **–गैरसायल–**

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल।**
2. **गैरसायल की ओर से श्री राजेन्द्र पुरोहित एड.।**

निर्णय

दिनांक : 29.07.2025

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल बनवारीलाल पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल उम्र 35 साल निवासी बुचावास पुलिस थाना भालेरी जिला चूरू का रहने वाला है जो अवैध जुआ सट्टा करने का आदी है, एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो सार्वजनिक स्थान पर सरेआम सट्टा की खाईवाली कर गरीब तबके के लोगों को लालच देकर आम जनता का आर्थिक शोषण करता है। जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी गम्भीर हैं, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। गैरसायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल बनवारीलाल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है।

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	163/16.10.2023	13 आरपीजीओ	भालेरी	23.10.2023	सजा 11.12.2023
2	171/31.10.2024	13 आरपीजीओ	भालेरी	24.11.2024	सजा 07.12.2024

इस प्रकार से गैर सायल सोहनलाल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं। इसकी ऐसी इसकी ऐसी गतिविधियां/ कार्य जिले व जिले के किसी भाग में सम्पति को संत्रास खतरा हो रहा है या होने की संभावना है, जिससे समाज के नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह इस्तगासा गैरसायल के विरूद्ध विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल के विरूद्ध एक ही वर्ष में दो से अधिक प्रकरण हिनियस प्रकृति के दर्ज नहीं है तथा ना ही गैरसायल का आचरण समाज विरोधी रहा है तथा गैरसायल गाँव समाज में रहने से सामाजिकता छिन्न–भिन्न होने का कोई अन्देशा नहीं है। गैरसायल बाल बच्चेदार मजदूरी पेशा व्यक्ति है व जिसके माता–पिता वृद्ध व अस्वस्थ है जिनकी देखभाल करने वाला गैरसायल के अलावा परिवार में कोई नहीं है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासा संविधन प्रदत्त अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन है तथा इस्तगासा में वर्णित अपराध कोई मारपीट

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

आदि के न होकर तुच्छ श्रेणी के अपराध है जिन पर गुण्डा एक्ट चलने योग्य नहीं है। इस्तगासा खारीज योग्य है अतः इस्तगासा खारीज किया जावे।

जवाब इस्तगासा प्रस्तुत होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

गैरसायल अधिवक्ता ने जवाब इस्तगासा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध विधि विरूद्ध इस्तगासा प्रस्तुत करने के कारण इस्तगासा खारीज करने योग्य है।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू ने बहस में कहा कि गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ के तहत 02 बार सजा से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ पुलिस थाना भालेरी के तहत 02 बार दिनांक 11.12.2023 व दिनांक 07.12.2024 को सजा तथा प्रत्येक में 300–300 रूपए से दण्डित किया जा चुका है इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल बनवारीलाल पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल उम्र 35 साल निवासी बुचावास पुलिस थाना भालेरी जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 10 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना भालेरी गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना बिसाऊ जिला झुंझुनू को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना बिसाऊ जिला झुंझुनू की देखरेख में 10 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना बिसाऊ जिला झुंझुनू में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना भालेरी जिला चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना बिसाऊ जिला झुंझुनू तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू